# राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

**आदेश**

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1641/2002

हरप्रसाद शर्मा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश दिनांक नवम्बर 28,2008

**उ प स्थि त**

**माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक**

श्री भूपेन्द्र पारीक,अधिवक्ता याचिकाकर्ता

श्री अकलेश जैन,उप राजकीय अधिवक्ता

1. इस प्रकरण में अयाचीगण के द्वारा याची की सेवानिवृति के उपरान्त उसे देय सेवानिवृति लाभों में से रूपये 13760/- की कटौती किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई है तथा यह भी प्रार्थना की गई है कि उसके सेवानिवृति के समय मासिक वेतन 2450/- को घटाकर 2300/- किये जाने के आदेश को अवैध घोषित किया जावे तथा सेवानिवृति लाभों की पुन: गणना की जावे।

2. अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची को चयनित वेतनमान का भुगतान उसे प्रशिक्षित मानते हुए अनियमित रूप से कर दिया था। उसके सेवानिवृत होने के पश्चात लेखा शाखा द्वारा यह आक्षेप लिया गया कि याची प्रशिक्षित नहीं है इसलिए उसे नियमानुसार चयनित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दू इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा श्रीमती पुष्पलता टाडा एवं 41 अन्य बनाम राज्य सरकार डब्ल्यू एल सी 2001( 2) पेज-560 के निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है। उक्त निर्णय में खण्डपीठ ने यह अवधारित किया है कि याचिकाकर्ताओं को दिये गये चयनित वेतनमान को पुन: बिना नोटिस दिये मात्र इस आधार पर वापिस नहीं लिया जा सकता है कि वे प्रशिक्षित नहीं है। ततपश्चात उक्त खण्डपीठ के

निर्णय के आधार पर अन्य कई रिट याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

4. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिनांक 27.12.1996 को अपास्त किया जाता है। अयाचीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याची को देय सेवानिवृति लाभों पेंशन, ग्रेच्यूटी इत्यादि की गणना याची को उसके सेवानिवृति के समय मासिक वेतन 2450/- मानते हुए करेंगे तथा उसे देय राशि में से की गई कटौती की राशि 13760/- का भुगतान उसे पुन: करेंगे। याची उक्त सभी राशि पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अयाचीगण इस निर्णय की पालना इस निर्णय की प्रति उनके सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर भीतर आवश्यक रूप से करेंगे।

**(न्या0 मोहम्मद रफीक)**

बीएलजैन